



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22067

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक अपील संख्या.- 3856/2025

जीशान उर्फ बाबा उर्फ छोटु

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

:- आशीष कुमार शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 12

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या.1-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। प्रतिवादी संख्या.2 पर सूचना तामील होने के बावजूद, वह उपस्थित नहीं हुए हैं।

2. यह दांडिक अपील अपीलार्थी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-क(2) के अंतर्गत, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, प्रतापगढ़ द्वारा वाद अपराध संख्या 112/2025, भारतीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्याय संहिता की अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 352, 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(क), 3(2)(व), थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ में पारित आदेश दिनांक 06 नवम्बर 2025 को अपास्त किए जाने हेतु योजित की गई है। साथ ही, उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को जमानत पर मुक्त किए जाने की भी प्रार्थना की गई है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार, सूचनाकर्ता के पुत्र पिंटू ने सह-अभियुक्त अन्नू उर्फ मोनू को 5,000/- रुपये की राशि दी थी और वह उसी की मांग कर रहा था। 5 जून, 2025 को उक्त अन्नू उर्फ मोनू उर्फ सुनील सरोज ने सूचनाकर्ता के पुत्र को एक विशेष स्थान पर बुलाया, परंतु शाम लगभग 4:30 बजे उस स्थान पर पहुँचने पर, उक्त अन्नू उर्फ मोनू उर्फ सुनील सरोज ने अपीलकर्ता और साथ ही अन्य सह-अभियुक्तों को उसे घेरने के लिए उकसाया, जिसके पश्चात सूचनाकर्ता के पुत्र को घेर कर, उस पर हमला कर दिया गया। इसके उपरांत, उक्त अन्नू उर्फ मोनू ने सह-अभियुक्त इमरान खान को भी ललकारा, जिसने इसके बाद सूचनाकर्ता के पुत्र पर गोलियाँ चला दीं, जिससे उसके पैर में दो गोलियाँ लगीं तथा राहगीरों के हस्तक्षेप के कारण ही उसकी जान बचाई जा सकी।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही घायल पिंटू सरोज के बयान में, अपीलकर्ता के विरुद्ध पीड़िता पर गोली चलाने का कोई आरोप लगाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि उक्त अन्नू उर्फ मोनू को दांडिक अपील संख्या 3282/2025 में पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जबकि अपीलकर्ता का मामला उससे बेहतर स्थिति में है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता के पूर्व आपराधिक इतिहास को प्रत्युत्तर शपथ-पत्र के प्रस्तर 10 में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है और इससे पूर्व भी, अपीलकर्ता को आदेश दिनांक 1 दिसंबर 2025 के माध्यम से अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी, जिसका उसके द्वारा दुरुपयोग नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया है, परंतु यह स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता को 1 दिसंबर, 2025 को अंतरिम जमानत पर मुक्त किया गया था, जिसका दुरुपयोग नहीं किया गया है, और पाँच मामलों के पूर्व आपराधिक इतिहास को प्रत्युत्तर शपथ-पत्र के प्रस्तर 10 में स्पष्ट भी कर दिया गया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरांत, इस स्तर पर मामले के गुण-दोषों पर टिप्पणी किए बिना एवं विचारण में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के अधीन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं घायल के बयान के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध पीड़िता पर गोली चलाने या उसे घायल करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है; यह भूमिका एक अन्य सह-अभियुक्त अन्नू उर्फ मोनू के उकसावे पर सह-अभियुक्त इमरान खान को सौंपी गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दांडिक अपील संख्या 3282/2025 में पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। अपीलकर्ता के पूर्व आपराधिक इतिहास को प्रत्युत्तर शपथ-पत्र के प्रस्तर 10 में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है और अपीलकर्ता को इस न्यायालय द्वारा 1 दिसंबर 2025 को अंतरिम जमानत भी प्रदान की गई थी, जिसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जाना प्रतीत नहीं होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि विचारण भी अभी बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों का समुचित संज्ञान लिए बिना पारित किया गया है और इस प्रकार निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है तथा दिनांक 6 नवंबर, 2025 के आदेश को अपास्त किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. अपीलार्थी/आवेदक जीशान उर्फ बाबा उर्फ छोटू, जो उपरोक्त अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय के संतोष के अनुरूप व्यक्तिगत बंध-पत्र और उसी समान राशि की दो प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने पर निम्नवत शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो यहां न्याय हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

- (i) अपीलार्थी/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलार्थी/आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।
- (iii) अपीलार्थी/आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (iv) अपीलार्थी/आवेदक इस आशय का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत उन तिथियों पर स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (v) अपीलार्थी/आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (vi) यदि अपीलार्थी/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब भारतीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और अपीलार्थी/आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसे भी निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

मार्च 30, 2026

प्रभात

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।